



प्रेस नोट

सरहानीय कार्य दि० दिनांक : 21मार्च2024

थाना रोजा पुलिस द्वारा अपमिश्रित शराब का निष्कर्षण व बेचने वाले 01

अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्री अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार , श्री संजय कुमार पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व श्री अमित चौरसिया क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल प्रयवेक्षण में चलाये जा रहे अवैध शराब निष्कर्षण व बेचने वाले को रोकने हेतु सघन अभियान के क्रम में अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार की मय रोजा पुलिस टीम द्वारा जगह जगह छापेमारी कर 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 21.03.2024 थाना रोजा पुलिस को मिली सूचना के आधार पर अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गयी थाना रोजा पुलिस टीम को कामयाबी मिली । प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मय उ.नि अशोक कुमार मय हमराही हे०का० 98 ओमकार सिंह व का० 2174 विपिन नैन पुलिस द्वारा टीम थाना रोजा द्वारा ग्राम शाहगंज में अभियुक्त संजय पुत्र पुत्तुलाल निवासी ग्राम शाहगंज थाना रोजा जनपद शाहरजहाँपुर उम्र करीब 38 वर्ष को अपमिश्रित शराब बनाने व बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया व एक दुसरा अभियुक्त अमरपाल पुत्र चिन्ता निवासी ग्राम शाहगंज थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर मौके से फरार हो गया शराब बनाने के उपकरण स्टील का ड्रम ,पतीला ,बोतल ,कन्सतर,गैस चूल्हा आदि , एक प्लास्टिक की पन्नी में करीब 02 कि०ग्राम० यूरिया थी के साथ पुलिस हिरासत पुलिस लिया गया ।अभियुक्त शराब को तीव्र गति से बनाने के लिये यूरिया का प्रयोग करता था । मौके पर करीब 250 लीटर लहन नष्ट किया गया । पकड़े गये अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1. संजय पुत्र पुत्तुलाल निवासी ग्राम शाहगंज थाना रोजा जनपद शाहरजहाँपुर उम्र करीब 38 वर्ष

अपराधिक इतिहास :-

मु.अ.स. 173/2024 धारा 60 (2) आबकारी अधि० व धारा 272 भा.द.सं थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

मु० अ० सं० 494/2021 धारा 60 आबकारी अधि० थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी :-

1. 50 लीटर अवैध शराब
2. शराब बनाने के उपकरण स्टील का ड्रम ,पतीला ,बोतल ,कन्सतर, आदि
3. यूरिया करीब 02 किलोग्राम ।
4. 250 लीटर लहन आदि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार
- 2.उ०नि० अशोक कुमार
- 3.हे० का० 98 ओमकार सिंह
4. का० 2174 विपिन नैन